

पत्र संख्या : ८वि.शा./मु.राँची-०५-१३/२०१९ ज.सं. 323

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 21-03-21

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू को काँची सिंचाई योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु आवंटनादेश सं.-254 दिनांक 18.02.2021 द्वारा निर्गत राशि में से कुल रु. 445.00 लाख (चार करोड़ पैतालीस लाख मात्र) रूपये राशि का प्रत्यर्पण स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-40/15-16, दिनांक 16.12.2015 एवं 19/18-19, दिनांक 10.07.2018 (Online A.A.-870/12.07.18) एवं आवंटनादेश सं.-254 दिनांक 18.02.2021

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन प्रत्यर्पण स्वीकृत किया जाता है :—

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	प्रत्यर्पित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796- जन- जातीय क्षेत्र उपयोजना/ 62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 49S470180796620545	445.00

प्रत्यर्पित राशि – ₹ चार करोड़ पैतालीस लाख मात्र।

2. उपर्युक्त प्रत्यर्पण स्वीकृत की जा रही राशि की विवरणी निम्नवत् हैः—

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (6+9)	On-line Allotment Access No
						पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पित राशि	संशोधित कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू (RNCR011)	राँची	काँची सिंचाई योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के क्रियान्वयन	9368.00	792.180	2031.09	445.00	1586.09	7703.221	78468
				8575.00	5324.951					
				योग	6117.131	2031.09	445.00	1586.09	7703.221	

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— 323

राँची, दिनांक :— 21-03-21

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/बुण्डू सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभिः)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 323

राँची, दिनांक :- 21-03-21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्या-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव